मकानों और प्लाटों की अवैध बिक्री

2054. **श्री सुनिल कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के यमुना विहार, दिल्ली के थानाध्यक्ष को मैसर्स विशाल प्रापर्टी डीलर के एक व्यक्ति, श्री सूरेन्द्र कुमार के विरुद्ध शांति नगर, पूर्व दिल्ली में एक गिरोह से सांठगांठ करके गरीब व्यक्तियों के मकानों और प्लाटों की बिक्री के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, परन्तु इन सभी शिकायतों पर इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, क्योंकि इस मामले में थानाध्यक्ष की उनसे सांठगांठ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिससे निकट भविष्य में उन गरीब परिवारों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) इस संबध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि शिकायत में किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

2055. [*Withdrawn*].

2056. [*Transferred to the 25th March, 1988.*]

GNLF President's visits to Nepal

2057. SHRI SUNIL BASU RAY:
SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of times the GNLF President went to Nepal since the GNLF movement started;

(b) the purpose of such visits;

(c) whether there is any proposal to check his visits to Nepal; and

(d) if not, the reasons theerfor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Indo-Nepal border is an open border which permits free access to the citizens of both countries. It is, therefore, not feasible to state the number of times the GNLF President went to Nepal, nor the purpose of such visits. At present there is also no proposal to check such visits.

दिल्ली में पुलिस के थानाध्यक्षों को समयोपरि भत्ता

2058. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस थानों में कार्यरत थानाध्यक्षों को निरन्तर आठ घंटे की ड्यूटी देने पर समयोपरि भत्ता प्रदान नहीं किया जाता, जबकि वे 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें समयोपरि भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पुलिस थाने में एक थानाध्यक्ष की 4 घंटे की ड्यूटी के बजाय आठ घंटे की ड्यूटी नियत किये